पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 358 / 2025

1 मोहम्मद सामी पुत्र रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 1 एस. आर. डबल्यू नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. मरजीना खान पुत्री रसीद मोहम्मद पत्नी मोहम्मद तुफैल जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. हसीना खान पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 1 एस. आर. डबलयू नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रसीद मोहम्मद पुत्र अलीशेर जाति मुसलमान निवासी 1 एस. आर. डबल्यू नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

<u>डिक्री</u> दिनांक 11/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 1 एस. आर. डबल्यू. खाता सं0 140 / 139 में कुल 4.492 है0 में प्रतिवादीसं0 3 के 1 / 3 हिस्सा व चकनं० 1 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 139 / 138 में कुल 0.253 है0 आराजी में प्रतिवादीसं0 3 के 1 / 2 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 1 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 140 / 139 व इसी चक के खाता सं0 139 / 138 में से प्रतिवादी सं0 3 रसीद मोहम्मद का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।